कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक............................./दिनांक...........................

अल्पकालीन कोटेशन/दर आमंत्रण सूचना संख्या 17/2017–18

मेदिनीनगर नगर निगम में ई–रिक्शा एवं पैसेंजर रिक्सा (कम्पलीट फिटिंग सहित) क्रय के लिए कोटेशन आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक निर्माणकर्त्ता/अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता सीलबन्द लिफाफे में अपना निविदा/कोटेशन दिनांक 04.12.2017 को 12:00 बजे अपराह्न तक मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते है। निविदा/कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय में e-procurement समिति के समक्ष खोली जाएगी। कोटेशन समर्पित करने वाले कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

क्र०सं०	सामग्री	विवरणी	शुल्क राशि (जो वापस नहीं होगी)
1.	ई–रिक्शा	ब्राण्डेड कम्पनी	5000.00

शर्ते

1. निविदादाता को तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग देना होगा। तकनीकि निविदा में सफल होने पर वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदादाता को सभी ग्रुप का अलग–अलग लिफाफा देना होगा।
3. निविदादाता को कलर कैटलॉग एवं सामग्रियों के विशिष्टियों (Specification of Equipments) अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र एवं नगर निकाय का कार्यानुभव देना होगा।
4. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के वाणिज्य कर द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र (जी०एस०टी०एन०) पैन कार्ड, अपडेट आयकर रिटर्न एवं वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र देना होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को उपस्करों/सामग्रियों से संबंधित दर (सभी करों सहित) अंकित करना होगा।
6. कोटेशनदाता को मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक से इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/कम्पनी काली सूची में या रूग्न अवस्था में नहीं है तथा हर प्रकार के आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जाँचों से मुक्त है।
7. कोटेशनदाताओं को शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मेदिनीनगर के पदनाम से देय होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा डालटनगंज में भुगतेय होगा।
8. सामग्रियों की विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने पर विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
9. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निर्माणकर्ता के द्वारा सामग्रियों का एक वर्ष का गारंटी/वारंटी प्रमाण–पत्र देना होगा।
10. कोटेशन का निष्पादन मेदिनीनगर नगर निगम के e-procurement समिति के द्वारा किया जायेगा।
11. आपूर्तिकर्ता को सभी सामग्री की आपूर्ति मेदिनीनगर नगर निगम के कार्यालय में अपने खर्च पर कराना होगा।
12. मोहर बन्द लिफाफे पर आपूर्तिकर्ता का नाम/पता सामग्री का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।
13. सामानों की आपूर्ति आदेश के एक माह के अन्दर करना होगा। अन्यथा कुल मूल्य का 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति की कटौती विपत्र राशि से की जायेगी।
14. बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार e-procurement समिति के पास सुरक्षित रहेगा। तथा उनका निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
15. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं होगा।

16. संबंधित विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक 3817 / दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपि :– सूचनापट्ट पर साटकर सूचनार्थ प्रेषित/सम्पादक हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को प्रकाशनार्थ प्रेषित। स्थानीय संस्करण में न्यूनतम साईज सरकारी दर पर विज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक 3817 / दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपि :– e-procurement समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक 3817 / दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मेदिनीनगर नगर निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।

ज्ञापांक 3817 / दिनांक 24/11/2017

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
मेदिनीनगर नगर निगम।